कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर

WWW. ecmpgwl@hotmail.com

स्थायी परिपत्र क्रमांक 20/2010–11

ग्वालियर दिनांक 10.02.2011

इस कार्यालय के परिपत्र कमांक 5(1)1098 दिनांक 28.06.2005, परिपत्र कमांक 5(1)1789 दिनांक 29.07.2005 एवं परिपत्र कमांक 5(1)587 दिनांक 26.03.2008 को अधिकमित करते हुये देशी मदिरा भराई में प्रयुक्त लेबल तथा ढक्कन के मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैः–

1– **लेबल** :–

(1) लेबलों का आकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः–

750 मि.ली.	375 मि.ली.	180 मि.ली.
8 से.मी. X 14 से.मी.	4.5 से.मी. X 13 से.मी.	4 से.मी. X 12 से.मी.

(2) 25 अन्डर प्रूफ तेजी की मसाला मदिरा के लिये लेबल का रंग हल्का पीला (केरेमल रंग के बॉर्डर के साथ) तथा 50 अन्डर प्रूफ तेजी की प्लेन मदिरा के लेबल का रंग हल्का नीला/आसमानी (केरेमल रंग के बॉर्डर के साथ) रखा जाना अनिवार्य है।

(3) मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–एफ अनुसार लेबल पर विवरण अंकित किए जाएंगे। इनके अतिरिक्त लेबल पर निम्नानुसार विवरण भी पठनीय अक्षरों में मुद्रित कराया जायेगा :–

(i) मदिरा का प्रकार (मसाला मदिरा या प्लेन मदिरा)

(ii) "मदिरा न्यूनतम विकय दर से कम पर विकय नही की जायेगी," का मुद्रण।

(iii) "शराब पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है," का मुद्रण लाल रंग में।

2– ढक्कनों की गुणवत्ता:–

(1) सभी प्रकार की बोतलों पर लगने वाले टेम्परप्रूफ ढक्कन न्यूनतम 1.6 एम.एम. मोटाई की अच्छी गुणवत्ता की एल्यूमिनियम शीट के होना चाहिए। ढक्कन के भीतर रबर या फोम का प्रयोग लीकेज रोकने के लिए अनिवार्य होगा।

(2) 25 अन्डरप्रूफ तेजी की मसाला मदिरा के लिये ढक्कन का रंग पीला तथा 50 अन्डरप्रूफ तेजी की प्लेन मदिरा के लिए ढक्कन का रंग नीला रखना अनिवार्य है।

(3) प्रत्येक किस्म की देशी मदिरा के किसी भी धारिता के ढक्कन पर निम्न विवरण पठनीय अक्षरों में मुद्रित होना आवश्यक है:–

(i) मध्यप्रदेश आबकारी

(ii) विनिर्माता का नाम

उपरोक्त प्रावधानों के अधीन प्रत्येक देशी मदिरा निर्माता मसाला तथा प्लेन मदिरा लेबल्स के 120–120 नमूने पंजीयन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(अरूण कुमार भट्ट)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2010–11/ 412 ग्वालियर दिनांक 10.02.2011

प्रतिलिपि--

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
3. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय, उड़नदस्ता, भोपाल।
4. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी मध्यप्रदेश।
6. समस्त देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (आसवनी) .... मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश